Insolvency and Bankruptcy Board of India

No. IBBI/PR/2022/38
29th September, 2022

PRESS RELEASE

IBBI celebrates its Sixth Annual Day

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) aims for reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of the value of assets, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interests of all the stakeholders.

2. The Code has created a strong ecosystem in insolvency regime which is expanding in terms of number of service providers and number of cases using the Code as rescue mechanism for distressed firms. The Code has rescued 1,934 CDs (517 through resolution plans, 774 through appeal or review or settlement and 643 through withdrawal) till June 2022. In value terms, around 69% of distressed assets which entered the process under the Code have been resolved.

3. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), being responsible for implementation of the Code, is celebrating its Sixth Annual Day on 1st October, 2022. Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs, will grace the occasion as the Chief Guest and Shri Rao Inderjit Singh, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) of Ministry of Statistics and Programme Implementation; Minister of State (Independent Charge) of Ministry of Planning; and Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs, will be the Guest of Honour.

4. In order to commemorate the establishment of the IBBI, it has instituted an Annual Day Lecture Series. Chief Justice (Retd.) Shri Ramalingam Sudhakar, Hon'ble President, National Company Law Tribunal and Shri Ashok Kumar Gupta, Chairperson, Competition Commission of India will be delivering the Annual Day Lecture this year.

5. To mark the occasion, an annual publication, *"IBC: Idea, Impressions and Implementation"* will also be released.

6. The programme is being organised in the Nehru Memorial Museum & Library, Teen Murti Bhavan, Teen Murti Marg, New Delhi at 1600 hrs on the said date. Senior officers of the Government and regulatory bodies will grace the occasion. The occasion will witness the presence of stakeholders of the insolvency regime, namely, the insolvency professionals, registered values, other professionals, debtors, creditors, business leaders, academicians, and researchers. All the other interested stakeholders may join the programme virtually, the link to join will be available on https://ibbi.gov.in/annualday2022/index.php .

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सं. आईबीबीआई/पीआर/2022/38

29 सितंबर, 2022

प्रेस विज्ञप्ति

आईबीबीआई का छठा वार्षिक महोत्सव

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (कोड) का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के समयबद्ध तरीके से परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए पुनर्गठन और दिवाला समाधान करना है।

2. संहिता ने दिवाला व्यवस्था में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो सेवा प्रदाताओं की संख्या और संकटग्रस्त फर्मों के लिए बचाव तंत्र संहिता का उपयोग करने वाले मामलों की संख्या के रूप में विस्तार कर रहा है। संहिता ने जून, 2022 तक 1934 कॉर्पोरेट देनदार (517 समाधान योजनाओं के माध्यम से, 774 अपील या समीक्षा या निपटान के माध्यम से और 643 निकासी के माध्यम से) को बचाया है। मूल्य के संदर्भ में, लगभग 69% व्यथित संपत्तियों का समाधान किया गया।

3. संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) 1 अक्टूबर, 2022 को अपना छठा वार्षिक दिवस मना रहा है। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित होंगी और माननीय राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे।

4. आईबीबीआई की स्थापना के उपलक्ष्य में वार्षिक दिवस व्याख्यान श्रृंखला की अयोजन किया है। मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस वर्ष वार्षिक दिवस व्याख्यान देंगे।

5. इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए, एक वार्षिक प्रकाशन, "आईबीसी: आइडिया, इंप्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन" जारी किया जाएगा।

6. कार्यक्रम का आयोजन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तीन मूर्ति भवन, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में होगा। सरकार और नियामक निकायों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में दिवाला व्यवस्था के हितधारकों, अर्थात् दिवाला पेशेवरों, पंजीकृत मूल्यों, अन्य पेशेवरों, देनदारों और लेनदारों, शीर्ष व्यवसायी, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। अन्य सभी इच्छुक हितधारक वस्तुतः कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए लिंक https://ibbi.gov.in/annualday2022/index.php पर उपलब्ध होगा ।